फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय

....................................बनाम ....

आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
22/11/24	पत्रावली पेश हुई। पीओ० साहब अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 6/12/24 को पेश हो।	22.11.24
6/12/24	पत्रावली पेश हुई। पीओ० साहब अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16/1/25 को पेश हो।	6.12.24 6/12/2024
16/1/25	पत्रावली पेश हुई। पीओ० साहब अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30/1/25 को पेश हों।	
30/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र 08 R 9 CPC पर बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र 08 R 9 CPC स्वीकार किया जाकर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर पटवारी के आदेश सीमाज्ञान रिपोर्ट आधार पर किया जाकर खातेदार निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली नियमानुसार कार्य होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

आसीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
वाद पत्र : 134/2022
निर्णय दिनांक : 30.01.2025

उनवानी

लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति–अहिर निवासी ग्राम चक सालगरामपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर जरिये मुख्त्यारआम उदयभान यादव पुत्र लक्ष्मीनारायण यादव निवासी–ग्राम चक सालगरामपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

मैसर्स लोटस ग्रेट टाउनशिप प्रा० लि०–जरिये निदेशक महेश कुमार 10. जैन पुत्र एम.आर जैन निवासी मकान बम्बर 13/1032, मालवीय नगर, जयपुर।
2. दुर्गालाल पुत्र सोहनलाल
3. नागरमल पुत्र सोहनलाल
समस्त जाति–महाजन. निवासीगण फलैट नम्बर 706, 707 सातवी मंजिल कैलाश टावर लालकोठी, जयपुर।
4. तहसीलदार तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

5. भैरूलाल पुत्र श्री कन्हैयालाल
6. रामचन्द्र पुत्र श्री कन्हैयालाल
7. भौरीलाल पुत्र बंशीलाल
समस्त जाति–अहिर निवासीगण ग्राम चक सालगरामपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रफोमा प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीएन सी एक्ट एवं धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

वादीगण की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीएन सी एक्ट एवं धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जिसका सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी, प्रतिवादी संख्या 1 व प्रफोमा प्रतिवादीगण की खातेदारी कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 69 रकबा 0.20 हैक्टयर खसरा नम्बर 58 रकबा 0.28 हैक्टयर, खसरा नम्बर 70 रकबा 0.30 हैक्टयर, खसरा नम्बर 75 रकबा 0.33 हैक्टयर, खसरा नम्बर 128 रकबा 0.59 हैक्टरूर, खसरा नम्बर 129 रकबा 0.51 हैक्टयर, खसरा नम्बर 130 रकबा 0.11, खसरा नम्बर 131 रकबा 0.26 हैक्टयर कुल किता 8 कुल रकबा 2.58 हैक्टयर जो वाके ग्राम चक सालगरामपुरा पटवार हल्का विधाणी भू.अ.नि. क्षेत्र गोनेर तहसील सांगानेर, जिला जयपुर मे स्थित है। जिसमे वादी का 1/6, हिस्सा एवं प्रफोमा प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का बराबर बराबर हिस्सा 1/6, 1/6 व प्रफोमा प्रतिवादी संख्या 7 का हिस्सा 1/4 निहित है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा निहित है। जिसमे प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का उपरोक्त खसरा नम्बरान मे कोई हक व हिस्सा निहित नही है। वादी व प्रफोमा प्रतिवादीगण ने

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर दक्षिण मे भी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के विरूद्ध वाद पत्र
त कर रखा है जो विचाराधीन है। जिसमे उपखण्ड अधिकारी जयपुर दक्षिण के द्वारा प्रतिवादी
ा 2 व 3 को यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु पाबन्द कर रखा है। जिसमे आगामी तारीख पेशी
क 30.05.2022 नियत है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर दक्षिण मे प्रस्तुत वाद पत्र मे
यालय के आदेशानुसार सीमाज्ञान की कार्यवाही किया जाना था परन्तु प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के
ा राजस्व नक्शे के अनुसार सीमाज्ञान नही करवाकर जेडीए के द्वारा तैयार करवाये गये नक्शे के
ुसार सीमाज्ञान करवाना चाहा जिस पर वादी व प्रफोमा प्रतिवादीगण ने आपत्ति की है जो विचाराधीन
। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का प्रतिवादी संख्या 1 सहयोग कर रहा है जबकि प्रतिवादी संख्या 1
दी व प्रफोमा प्रतिवादीगण का सहखातेदार है। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 व 3
का सहयोग करने के कारण ही प्रतिवादी संख्या 1 को प्रस्तुत वाद पत्र में पक्षकार बनाया जाकर वाद
पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 का यह नैतिक दायित्व है कि वह प्रतिवादी
संख्या 2 व 3 के सहयोग के बजाय वादी व प्रफोमा प्रतिवादीगण का सहयोग किया जाना चाहिये
था। प्रतिवादी संख्या 1 वादी से आपसी वैचारिक मतभेद रखता है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 2 व 3
का खुलम खुल्ला सहयोग कर रहा है और ऐलानिया धमकी दे रहा है कि मै तुमको सीमाज्ञान
करवाकर कभी भी पत्थरगढी नही करवाने दूंगा। इसलिये श्रीमान न्यायालय मे दावा बावत स्थायी
निषेधाज्ञा एवं सीमाज्ञान तथा पत्थरगढी का प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के
साथ मिलकर वादी को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की वजह से प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी आज
भी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व राजस्व नक्शे के अनुसार प्रतिवादी संख्या 4 से सीमाज्ञान करवाना
चाहते है। सीमाज्ञान करवाने के पश्चात मुताबिक सीमाज्ञान अपनी खातेदारी भूमि जो वाद पत्र के
पैरा संख्या 1 में वर्णित है की पत्थरगढी करवाना चाहते है। पत्थरगढी करवाने से किसी भी पक्ष को
किसी प्रकार की आर्थिक हानि होने का अंदेशा नही है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा वादी
के कब्जे व स्वामित्व की कृषि भूमि मे जबरदस्ती पक्का निर्माण किये जाने हेतु निर्माण सामग्री पत्थर,
ईट, बजरी आदि इकठठी कर ली है और सीमेन्ट के ब्लॉको की दीवार बनाने हेतु काफी सारे सीमेन्ट
के ब्लॉक भी इकठते कर लिये है अगर वाद पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही प्रतिवादी संख्या 1 लगायत
3 के द्वारा वाद पत्र मे वादी की खातेदारी भूमि जो वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित है पर किसी
भी भाग पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कर लेते है तो वादी के वाद पत्र प्रस्तुत करने का
मकसद ही फौत हो जायेगा। जिससे वादी को बहुत ही आर्थिक हानि होगी। इसलिये प्रतिवादी के
विरूद्ध यह वाद पत्र बावत स्थायी निषेधाज्ञा, सीमाज्ञान व पत्थरगढी का प्रस्तुत किया जा रहा है।
प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि जब तक वाद पत्र
की मद संख्या 1 मे वर्णित वादी की खसरा नम्बरान की भूमि सीमाज्ञान होकर पत्थरगढी कायम नही
कर दी जाती है तब तक वादी की खातेदारी भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ना तो प्रवेश करे
ना ही किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण करे ना ही वादी के शांति पूर्ण उपयोग उपभोग मे किसी
प्रकार की बाधा कारित करे ना ही वादी को बेदखल करे ऐसा ना तो स्वयं करे ना ही अन्य किसी
व्यक्ति से करावे इस हेतु प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया
जाना न्यायोचित है। प्रतिवादी संख्या 4 को भी जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर इस आशय का

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

दिया जावे कि वह मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अंकित रकबा व मुताबिक राजस्व नक्शे मे अंकित सीमा के अनुसार सीमाज्ञान करवाये जाने व पत्थरगढी किये जाने के निर्देश जावे। प्रतिवादी संख्या 4 भू स्वामी है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 4 को पक्षकार बनाया गया है। कारण दिनांक 26.05.2022 को सायंकाल प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 फिता डालकर नाप जोक मे लगे से वाद कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

वाद वहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 निम्न प्रकार डिक्री फरमाया वे– कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि जब तक द पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित वादी की खसरा नम्बरान की भूमि का सीमाज्ञान होकर पत्थरगढी यम नहीं कर दी जाती है तब तक वादी की खातेदारी भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ना ो प्रवेश करे ना ही किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण करे ना ही वादी के शांति पूर्ण उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित करे ना ही वादी को बेदखल करे ऐसा ना तो स्वयं करे ना ही अन्य किसी व्यक्ति से करावे इस हेतु प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना न्यायोचित है। प्रतिवादी संख्या 4 को भी जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द कर इस आशय का निर्देश दिया जावे कि वह मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे अंकित रकबा व मुताबिक राजस्व रिकार्ड नक्शे मे अंकित सीमा के अनुसार सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किये जाने के निर्देश दिया जावे।

वादी का वाद पत्र दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। वकील वादीगण उपस्थित। प्रतिवादीगण की ओर से वकील जितेन्द्र चौधरी ने वकालतनामा पेश किया । प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद प्रेषित इन्कारी रजि. नोटिस दिनांक 19.10.2022 के उपस्थित नही हुए। प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध दिनांक 01.02.2023 को एकतरफा कार्यवाही की गयी। प्रतिवादीगण 2 व 3 प्रार्थना पत्र का जवाब नही देना चाहते अतः दिनांक 24.08.2023 को प्रतिवादीगण 2 व 3 का जवाब बन्द किया जाता है।

वकील वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीएन सी एक्ट एवं धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम व स्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई । हमने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का आधोपान्त अवलोकन करने पर हम इस निकर्ष पर पहुचे हे कि वाके ग्राम चक सालगरामपुरा पटवार हल्का विधाणी भू.अ.नि.क्षेत्र गोनेर तहसील सांगानेर, जिला जयपुर मे स्थित वादी, प्रतिवादी संख्या 1 व प्रफोमा प्रतिवादीगण की खातेदारी कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 69 रकबा 0.20 हैक्टयर खसरा नम्बर 58 रकबा 0.28 हैक्टयर, खसरा नम्बर 70 रकबा 0.30 हैक्टयर, खसरा नम्बर 75 रकबा 0.33 हैक्टयर, खसरा नम्बर 128 रकबा 0.59 हैक्टरूर, खसरा नम्बर 129 रकबा 0.51 हैक्टयर, खसरा नम्बर 130 रकबा 0.11, खसरा नम्बर 131 रकबा 0.26 हैक्टयर कुल किता 8 कुल रकबा 2.58 हैक्टयर स्थित है वादी राजस्व जमाबन्दी व राजस्व नक्शे के अनुसार प्रतिवादी संख्या 4 से सीमाज्ञान करवाना चाहता है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर दक्षिण मे प्रस्तुत वाद पत्र मे न्यायालय के आदेशानुसार सीमाज्ञान की कार्यवाही किया जाना था परन्तु प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के द्वारा राजस्व नक्शे के अनुसार सीमाज्ञान नही करवाकर जेडीए के द्वारा तैयार करवाये गये नक्शे के अनुसार सीमाज्ञान करवाना चाहा जिस पर वादी व प्रफोमा

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

प्रतिवादीगण ने आपत्ति की है जो विचाराधीन है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का प्रतिवादी संख्या 1 विरोध कर रहा है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 वादी व प्रफोमा प्रतिवादीगण का सहखातेदार है। वादीगण अपने स्वामित्व व खातेदारी कृषि भूमि की सुरक्षार्थ उसके चारों तरफ पत्थरगढी व तार फेंसिंग करवाना चाहते है। वादीगण की ओर से पेश वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीएन सी एक्ट धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण की ओर से पेश वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीएन सी एक्ट एवं धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर उपरोक्त आराजीयात भूमि वाके ग्राम चक सालगरामपुरा पटवार हल्का विधाणी भू.अ.नि.क्षेत्र गोनेर तहसील सांगानेर, जिला जयपुर मे स्थित वादी, प्रतिवादी संख्या 1 व प्रफोमा प्रतिवादीगण की खातेदारी कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 69 रकबा 0.20 हैक्टयर खसरा नम्बर 58 रकबा 0.28 हैक्टयर, खसरा नम्बर 70 रकबा 0.30 हैक्टयर, खसरा नम्बर 75 रकबा 0.33 हैक्टयर, खसरा नम्बर 128 रकबा 0.59 हैक्टरूर, खसरा नम्बर 129 रकबा 0.51 हैक्टयर, खसरा नम्बर 130 रकबा 0.11, खसरा नम्बर 131 रकबा 0.26 हैक्टयर कुल किता 8 कुल रकबा 2.58 हैक्टयर का तह0 सांगानेर की फर्द मौका सीमाज्ञान –रिपोर्ट आदेश दिनांक 22.06.2022 के अनुसार पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर